

सं०सं०-8/ज० सं०(नि०)

/राँची, दिनांक-

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री योगेन्द्र कुमार पंडित ने जबकि वे कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री योगेन्द्र कुमार पंडित, कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम-55 में विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2- श्री योगेन्द्र कुमार पंडित, कार्यपालक अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान विभागीय जाँच आयुक्त श्री श्याम सुंदर प्रसाद (से.नि.) भा.प्र.से. के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3- उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल कोडरमा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4-प्रस्ताव में विभागीय मंत्री/ मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ:- श्री योगेन्द्र कुमार पंडित, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल कोडरमा संप्रति-जल पथ प्रमंडल, मेदिनीनगर / श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, से.नि. भा.प्र.से./ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-

/राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि:-अनुबंध की प्रति के साथ- श्री योगेन्द्र कुमार पंडित, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल कोडरमा संप्रति-जल पथ प्रमंडल, मेदिनीनगर / श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, से.नि. भा.प्र.से./ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2- जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेंगे साथ ही साथ कार्यवाही से अवगत कराते रहेंगे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3- प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4- आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख / कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा बिलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

3046

/राँची, दिनांक:

9-4-14

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हिनू राँची/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, राँची/ अवर सचिव (प्र.) जल संसाधन विभाग, राँची/ अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-1, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

9-4-14